HRA AN USIUSION The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੱ, 2188] No. 2188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2009/पौष 3, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2009/PAUSA 3, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3288(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 113(अ), तारीख 6 फरवरी, 1998 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 393(अ), तारीख 12 मई, 1998 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 8.000 कि.मी. से 33.000 कि.मी., (बंगलौर-होसुर सेक्शन) और तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 33.000 कि.मी. से 94.000 कि.मी., (होसुर-कृष्णागिरी सेक्शन) तक के विस्तार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 9.500 कि.मी. से 18.750 कि.मी. तक के चार लेन के उपरगामी मार्ग बनाने के लिए, 8.765 कि.मी. से 18.750 कि.मी. के भाग के सुधार के लिए और 8.765 कि.मी. से 33.130 कि.मी. (सिल्क बोर्ड जंकशन-होसुर सेक्शन) के अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भू-खंड कहा गया है), मैसर्स बंगलौर ऐलिवेटिड टोलवे लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 41, नागार्जुन हिल्स, हैदराबाद-500082 है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भू-खंड के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिदत्त पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अविध को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए नीचे की सार्राणयों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तम्भ (3), में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उदगृहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी - 1 उपरगामी मार्ग के उपयोग के लिए आधार फीस दर

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा की दर 1 अप्रैल 2005 (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1	दो पहिया वाहन	10
2	कार, जीप और यात्री वैन	25
3	हल्के वाणिज्यिक यान और मिनि बस	35
4	ट्रक और बस	70
5	अर्थ मूर्विग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनें	140

सारणी - 2 32.700 कि.मी. पर स्थित फीस प्लाजा पर आधार फीस दर

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा की दर 1 अप्रैल 2005 (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1	दो पहिया वाहन	00
2	कार, जीप और यात्री वैन	15
3	हल्के वाणिज्यिक यान और मिनि बस	25
4	ट्रक और बस	50
5	अर्थ मूर्विंग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनें	105

टिप्पण:- 1. फीस का संग्रहण निम्नलिखित पांच टोल प्लाजाओं पर किया जायेगा

क्रम संख्या	टोल की स्थिति	ट्रेफिक जिसमें फीस उद्ग्रहित की जायेगी
1	इलैक्ट्रोनिक सिटी फेस - 1	दोनो तरफ के यातायात
2	इलैक्ट्रोनिक सिटी फेस - 2	बंगलौर से इलैक्ट्रोनिक सिटी फेस - 2 ट्रेफिक
3	कि.मी. 18.010 (इलैक्ट्रोनिक सिटि से बंगलौर) दाहिने ओर की तरफ सड़क पर	इलैक्ट्रोनिक सिटी जंकशन से बंगलौर यातायात
4	कि.मी. 18.550 (बंगलौर से होसुर) बाएं ओर की तरफ सड़क पर	बंगलौर से आगे इलैक्ट्रोनिक सिटी यातायात
5	कि.मी. 32.700	दोनो तरफ के यातायात

2. वास्तविक फीस तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा कि संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

आधार फीस X थो.की.सू. ख थो.की.सू. क

जहां

* थो.की.सू. क = 31 मार्च 2005 को थोक कीमत सूचकांक है;

- * थो.की.सू. ख = फीस के पुनरीक्षण से पहले उपलब्ध 31 मार्च को थोक कीमत सूचकांक है।
- * फीस 5 रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।
- 3. जब किसी यान को किसी दिन उक्त भूखंड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे। या जहाँ ऐसा यान को उक्त भूखंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो उपयोक्ता उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दर के तीस गुना दर पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।
- 4. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-
 - (क) ऐसे यान -
 - (i) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
 - (क) भारत के राष्ट्रपति;
 - (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
 - (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
 - (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 - (इ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक:
 - (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे रवयं यान में बैठें हों; या
 - (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
 - (ii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
 - (ख) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।

- (ग) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारुढ़ यान ।
- 5. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।
- 6. जो यान उपरगामी मार्ग का प्रयोग करेगा वह सारणी 1 में दी गई शुल्क का भुगतान करेगा ।
- 7. जो यान अटिबेली टोल प्लाजा 32.7 कि.मी. पार करेगा वह सारणी 2 में दी गई शुल्क का भुगतान करेगा ।
- 8. जो यान एट ग्रेड सेक्शन 8.765 कि.मी. से अटिबेली टोल प्लाजा के बीच के सेक्शन का प्रयोग करेगा और टोल प्जाजा पार नहीं करेगा वह कोई फीस नहीं देगा ।
- 9. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन भी है कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले प्रकाशित करेगा ।
- 10. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी और पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें।
- 11. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्प्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

फा. सं. भाराराष्ट्रा/13013/468/2009-10/सी.ओ./जीसी बेंगलौर (उपरगामी मार्ग) बीओटी] एस. नरेन्द्र, निर्देशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2009

S.O. 3288(E).—Whereas, by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 113 (E), dated the 6th February, 1998 and S.O. 393 (E), dated the 12th May, 1998, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the stretches of National Highway No. 7 from Km. 8.00 to Km. 33.00 (Bangalore – Hosur section) in the State of Karnataka and from Km. 33.00 to Km. 94.00 (Hosur – Krishnagiri section) in the State of Tamil Nadu respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Bangalore Elevated Tollway Limited having its registered office at 41, Nagarjuna Hills, Hyderabad - 500082 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the construction of 4 lane elevated highway from Km. 9.500 to Km. 18.750, improvement of at grade section from Km 8.765 to Km. 18.750 and operation and maintenance of the section from Km. 8.765 to Km. 33.130 (Silk Board Junction - Hosur section) of National Highway No. 7 in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the said stretch);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Tables (hereinafter referred to as the said Tables), on the category of vehicles specified in column (2) of the said Tables, for the use of the said stretch or part thereof and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said fee from the commercial operation date or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement, namely:-

4705 41109-9

Table 1

Base fee rate for use of elevated section

S. No.	Category of Vehicle	Fee at the base rate per vehicle for one way trip as on 1 st April, 2005 (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1 10 1	Two wheeler	10
2	Car, Jeep and Van	25
3	Light Commercial Vehicle (LCV) and Mini bus	35
4	Truck and Bus	70
5	Earth moving equipment and heavy constructions machinery	140

Table 2

Base fee rate for fee plaza at Km 32.700

S. No.	Category of Vehicle	Fee at the base rate per vehicle for one way trip as on 1st April, 2005 (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Two wheeler	00
2	Car, Jeep and Van	15
3	Light Commercial Vehicle (LCV) and Mini bus	25
4	Truck and Bus	50
5	Earth moving equipment and heavy constructions machinery	105

Notes:-

1. The fee shall be collected at five locations as per following details, namely:-

Sl. No.	Location of fee plaza	Traffic to be tolled
1.	Electronic city phase I	Both way traffic
2.	Electronic city phase II	Bangalore to electronic city phase II traffic
3.	Km 18.010 (electronic city – Bangalore) on Right Hand Side carriage way	Electronic city junction to Bangalore traffic
4.	Km 18.550 (Bangalore – Hosur) on Left Hand Side carriage way	Bangalore to beyond electronic city traffic
5.	Km 32.700	Both way traffic

The actual fee and revision thereof effective from the 1st
July every year shall be computed as follows, namely:-

Base Fee X WPI-B WPI-A

where -

- (i) WPI-A is the Wholesale Price Index as on 31st March, 2005;
- (ii) WPI-B is the Wholesale Price Index available for 31st March preceding the fee revision date,

(iii) The actual fee shall be rounded off to the nearest five rupees.

- 3. When a vehicle has to cross the said stretch more than once in a day, the user shall have the option to pay fee for multiple trips at one and a half times the rate as specified in column (3) of the said Tables while crossing the toll plaza in the first trip itself, and where a vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for the entire month, then the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in column (3) of the said tables.
- 4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
 - (A) Vehicles-
 - (i) having VIP symbols or officially belonging to-
 - a. the President of India;
 - b. the Vice-President of India;
 - c. the Governor of a State and the Lieutient Governor of a Union territory;-
 - d. a Foreign dignitary on State visit to India;

e. a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates:

f. the Chairman of Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha, the Chairman of State Legislative Council, the Speaker of State Legislative Assembly, a Minister for the Union or State, the Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle;

- g. a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
 - (ii) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (B) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
- (C) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
- 5. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle which is not specified in the said Tables.
- 6. Vehicles using elevated section shall pay toll as per the elevated section toll rates prescribed in the above Table 1.
- 7. Vehicles crossing Attibele toll plaza located at Km. 32.700 shall pay toll as per, at grade section, toll rates prescribed in the above Table 2.
- 8. Vehicles using, at grade section, between Km 8.765 and Attibele toll plaza and not crossing the fee plaza shall not be tolled.
- 9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.
- 10. The rate of fee, the category of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also and the height of display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/468/2009-10/CO/GC Bangalore (Elevated Highway) BOT] S. NARENDRA, Director